हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 08/2017 अनवान बाबुलाल बनाम कुम्भाराम**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र बान्दरा पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 29.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र बान्दरा पर पत्रावली पेश हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाडमेर	
29.05.2018	**आदेश** यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र बान्दरा पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थी ने स्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी के विरूद्ध जारी किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थी का कथन है कि ग्राम सर का पार पटवार क्षैत्र बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर में उसकी खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1080/770 रकबा 05.17 बीघा का आया हुआ है, जिसमें अप्रार्थी जबरन उसके काश्त व कब्जे एवं शेढे पर बनी पुरानी बाड़ को तोड़कर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कराने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया है। प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थी पक्ष का सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। प्रकरण पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नही है और प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नही होने से प्रस्तुत आवेदन पत्र आधारहीन व सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाडमेर	

Scanned by CamScanner